न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र **24/2019**

अनवान :–

श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर(राजस्थान)

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री जगदीश कुमार पुरोहित पुत्र श्री शंकरलाल पुरोहित जाति पुरोहित(ब्राह्म्मण)(विक्रेता मालिक) मैसर्स तुलसी हींग कम्पनी, जस्सुसर गेट के अन्दर, बीकानेर(राज.) 334001

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री अजय कुमार पुरोहित अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 29.01.2020

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 13.07.2019 को अप्रार्थीपक्ष श्री जगदीश कुमार पुरोहित पुत्र श्री शंकरलाल पुरोहित(ब्राह्म्मण) (विक्रेता मालिक) मैसर्स तुलसी हींग कम्पनी जस्सुसर गेट के अन्दर बीकानेर के यहां फर्म का निरीक्षण के दौरान फर्म में रखे 158 पैक्ड प्लास्टिक जार प्रत्येक 100 ग्राम प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक्ड में से 8 पैक्ड प्लास्टिक जार प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश)पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार नमूना संग्रह हेतु क्रय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूल्य 280/– रूपये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर कोड एवं क्रमांक जे–1626 लिखा व अन्य विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं प्रार्थी ने किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक प्लास्टिक डिब्बे (2–2 पैक्ड जार 100 ग्राम के प्रत्येक प्लास्टिक डिब्बा) पर गौंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग पर हस्ताक्षरयुक्त एक ही नम्बर की चार पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक जे–1626 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना भागों पर चिपकाई व नियमानुसार चपड़ी से सील मोहर किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता व गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनीकरण की कार्यवाही के पश्चात् शेष बचे प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार के 150 पैक्ड प्लास्टिक जार को मौके पर ही एक प्लास्टिक कट्टे में डालकर सीज कर विक्रेता श्री जगदीश कुमार पुरोहित की सुरक्षित अभिरक्षा में रखकर अग्रिम आदेशों तक विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया। मौके पर ही अभिग्रहण ज्ञापन प्ररूप–2, अभिग्रहण आदेश प्ररूप 3, प्रतिभू बंधपत्र प्ररूप 4 तैयार किये तथा विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिहित

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार के 150 पैक्ड प्लास्टिक जार को सीज करने की सूचना दी । उक्त नमूना भागों में से एक सीलबन्द नमूना भाग मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS.1614/Act/2019/1210 दिनांक 05.08.2019 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग (प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 व धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री अजय कुमार पुरोहित अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत । तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां फर्म का निरीक्षण के दौरान फर्म में रखे 158 पैक्ड प्लास्टिक जार प्रत्येक 100 ग्राम प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। मिलावट का शक होने पर नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार के 8 पैक्ड का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। तथा नमूनीकरण की कार्यवाही के पश्चात् शेष बचे प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार के 150 पैक्ड प्लास्टिक जार को मौके पर ही एक प्लास्टिक कट्टे में डालकर सीज कर विक्रेता श्री जगदीश कुमार पुरोहित की सुरक्षित अभिरक्षा में रखकर अग्रिम आदेशों तक विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में खाद्य पदार्थ प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 व धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी जगदीश जस्सुसर गेट के अन्दर अपने निवास स्थान पर प्रिमियम संयुक्त बांध की हींग पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार में प्रकाश नाम से बेचने का कार्य कर रहा है। दिनांक 13.07.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रार्थी के मकान पर आकर अपना परिचय देकर गवाह श्री विनोद एवं उमेश गोपाल छंगाणी के अनुचित दबाव में विक्री हेतु तैयार हो रहे हींग के पैकेट्स को अपने कब्जे में लेकर जांच हेतु भिजवा दिये गये। दोनों गवाहान न तो बीकानेर के है ना ही मौहल्ले के अथवा मकान के आसपास के है ये दोनों तो जोधपुर व उल्लहास नगर महाराष्ट्र के है जिनकी संबंधित फर्म से पूर्व में प्रार्थी विक्रेता से हींग लिया करता था और जिनका बाद में लेने देन को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश की वजह से उक्त गवाहान ने दुर्भावनापूर्वक अधिकारियों से मिलकर तमाम झूठी कार्यवाही करवाई। उन्होनें यह भी निवेदन

अति॰ जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

किया कि सैम्पल तीन अलग–अलग प्राप्त किये जिसमें दो सेम्पल एकदम शुद्ध पाये गये यानि की वो एकदम शुद्ध थे किसी प्रकार की मिलावट नहीं थी वहीं तीसरे जांच में मिसब्राण्ड का दोष पाया गया क्योंकि बैच नं. डेट ऑफ मेन्यूफेक्चरिंग बेस्ट बिफोर 18 मन्थस और तुलसी हींग को कम्पनी का पूर्ण पता एसएसएसएआई लाईसेंस नम्बर आदि लिखे नहीं होने के आधार पर मिसब्राण्ड एवं सबस्टेण्डर्ड का जुर्म पाया गया है वास्तव में प्रार्थी ने हाल ही में प्रकाश नाम से पैंकिंग का नया काम शुरू किया था और जो स्टीकर तैयार होकर आये थे उनमें इन तथ्यों का समावेश नहीं था इसी कारण से इन स्टीकरस् के डिब्बो को अलग रख दिया था और इनके उपर तमाम जानकारी सील मोहर से जानकारी लिखी जानी थी जिनको लिखने से पहले यह कार्य गवेाहान के दबाव में की गई थी। अतः प्रार्थी के साथ उसका पहलो व्यवसाय व उसकी शुरूआत होने से व पहली गल्ती होने से सहानुभूति पूर्वक विचार कर दोष मुक्त करने के आदेश फमराये जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS.1614/Act/ 2019/1210 दिनांक 05. 08.2019 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Quality Characteristics-No.3- Alocoholic extract(with 90% of Alcohol) as extimated by the U.S.P. 1936 method. Not less than 5% की तुलना में 4.73% पाया गया है तथा रिपोर्ट अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ The sample of "Compounded Asafoetida (Prakash Brand) " bearing Code No. and Sr. No. J-1626 of Designated Officer Cum the Chief Medical & Health Officer, Bikaner is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations, 2011 and Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो मानव उपयोग के लिये हानिकारक होने से धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड विकय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ा) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ा) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व धारा 52 के तहत रू. **50,000/– (अखरे रूपये पचास हजार मात्र)** की शास्ति आरोपित की जाती है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

6. इसके अतिरिक्त जहां तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना स्थल पर नमूनीकरण की कार्यवाही के पश्चात् शेष बचे प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार के 150 पैक्ड प्लास्टिक जार को मौके पर ही एक प्लास्टिक कट्टे में डालकर सीज किये गये खाद्य पदार्थ का निस्तारण का प्रश्न है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त सीज शुदा खाद्य पदार्थ प्रीमियम संयुक्त बांधकी हींग(प्रकाश) पैक्ड 100 ग्राम प्लास्टिक जार के 150 पैक्ड प्लास्टिक जार के निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार करें।

7. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलेक्टर (प्रशा), बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर